UPMP010025992026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 890/2026

सूबेदार सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र सोनेलाल निवासी डेरा डूँगरपुर थाना किशनी,जिला मैनपुरी।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त **सूबेदार सिंह** की ओर से यह प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या 148/2026 अन्तर्गत धारा–419,420,467,468,471 भा0 दं0 सं. थाना– भोगांव** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय एवम माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,'' प्रार्थी सूबेदार पुत्र श्री सुम्मेर मुहल्ला जगतनगर मौजा महावतपुर कस्बा व थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का निवासी है तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्राथी को वर्ष 1976 में भूमिहीन होने के कारण गाटा संख्या 862 में 0.3240 एकड़ का पट्टा मौजा महावतपुर में दिया गया था। जिस पर प्रार्थी उस समय से अब तक काबिज है। प्रार्थी को पता चला कि उसकी भूमि का बैनामा हो चुका है, तब प्रार्थी द्वारा अपने नाम की फर्द निकलवाई तो उसमें अंकित था कि दिनांक 13.10.2021 व 16.08.2022 को तहसीलदार भोगाँव द्वारा दाखिल खारिज श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री प्यारेलाल निवासी नगला कुँआ मौजा सुलखनपुर तहसील भोगाँव के नाम अंकित है। तब प्रार्थी द्वारा तहसील में मुआयना कराकर उक्त जमीन का बैनामा निकलवाया गया तो 03.08.2021 को मेरे नाम से दर्ज भूमि का किसी अन्य व्यक्ति ने खड़े होकर बैनामा दो बार में श्रीमती वंदना देवी उपरोक्त के नाम बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय भोगांव में कर दिये है। इस बैनामा में गवाह क्रेता श्रीमती वंदना देवी के पति प्यारे लाल पुत्र सनू नि० नगला कुआ और दूसरा गवाह मुन्ना लाल पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी नगला कन्ही मौजा विनोदपुर तहसील भोगाव, मैनपुरी है तथा बैनामा में बिक्री धनराशि जिस खाते में जमा किया गया है उसका खाता संख्या 073310100003203 आर्यावर्त बैंक में सचालित है। पता करने पर उक्त खाता संख्या के खातेदार श्री संजय कुमार पुत्र श्री देशराज निवासी नगला देवी मौजा गुलरियापुर थाना किशनी मैनपुरी पाया गया। क्रेता श्रीमती वंदना देवी से वहीं से कुछ भले व्यक्तियों को लेकर बात की गयी तो बताया कि रामरहीस यादव निवासी नगला चुन्नी थाना भोगाँव, मैनपुरी के द्वारा यह बैनामा मेरे नाम करवाये गये हैं। मुझसे यह कहा था कि यह जमीन अनुसूचित जाति की है मेरे नाम नहीं हो सकती है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूँ और तुम अनुसूचित जाति की जाटव हो। इस बैनामा में जो खर्चा हुआ है वो रामरहीस यादव द्वारा किया गया है।

मुन्नालाल गवाह बैनामा में कहा कि जिस व्यक्ति ने बैनामा किया है, या जिसने बैनामा कराया है उसे आपके सामने एक–दो दिन में खड़ा कर दूँगा। रामरहीस भू–माफिया है। इस प्रकार के कृत्य पहले और भी कर चुका है। प्रार्थी के नाम अंकित भूमि के दो बार में बैनामा मेरे स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी रूप से करा लिए है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को इसी माह अप्रैल 2025 में हुई है। उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बेईमानी की नियत से मूल्यवान जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से बैनामा कराये गये हैं। जबकि सत्य बात यह है कि सूबेदार पुत्र श्री सुम्मेर मेरे अलावा मुहल्ला जगतनगर में और कोई व्यक्ति नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें। ।''

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' प्रार्थी को उक्त केस में रंजिशन झूठा एवं निराधार तथ्यों के आधार पर फंसा दिया है प्रार्थी निर्दोष है । वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त केस की घटना दिनांक 13–10–2021 व 16–08–2022 की बतायी गयी है जबकि रिपोर्ट काफी बिलम्व से दिनांक 30–04–2025 को काफी सोच समझ कर लिखायी गयी है देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया कि दिनांक 13–10–2021 व व 16–08–2022 को तहसीलदार भोगाँव द्वारा दाखिल खारिज श्रीमती वन्दना देवी पत्नी श्री प्यारेलाल निवासी नगला कुआँ मौजा सुलखनपुर तहसील भोगॉव के नाम से अंकित है बताया गया है। जबकि रिपोर्ट कितने बिलम्व से की गयी है। सुलखनपुर तहसील भोगाँव के नाम से अंकित है बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त केस के वादी ने पाँच लोगों को नामजद किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बैनामा में बिकी की धनराशि जिस खाते में ट्रान्सफर की गयी है वह संजय कुमार बताया गया है। प्रार्थी ग्राम डूंगरपुर थाना किशनी जिला मैनपुरी का रहने वाला है प्रार्थी उक्त केस में नामजद अभियुक्त नहीं है। उक्त केस की अभियुक्तगण वन्दना देवी एवं उनके पति प्यारेलाल पुत्र. सनू उर्फ सोनेलाल मूल रूप से डूंगरपुर थाना किशनी जिला मैनपुरी के रहने वाले है और डूंगरपुर की जमीन बैंच कर ग्राम नगला कुंओं मौजा सुलखनपुर थाना भोगॉव जिला मैनपुरी में रहने लगे। उक्त केस के अभियुक्त प्यारेलाल सनू उर्फ सोनेलाल प्रार्थी का सगा भाई है वन्दना एवं प्यारेलाल प्रार्थी के घर पर ग्राम डूंगरपुर में रूके हुये थे थाना भोगॉव की पुलिस आकर प्रार्थी के घर से प्रार्थी एवं वन्दना को गिरफ्तार कर लिया और वन्दना को छोड कर प्रार्थी का झूठा चालान कर दिया जबकि प्रार्थी को उक्त केस की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को उक्त केस में अभियुक्त प्यारेलाल का सगा भाई होने के कारण फंसा दिया है। प्रार्थी के खिलाफ उक्त केस में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी की गिरफ्तारी के समय कोई भी जनता का गवाह नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देना चाहता है तथा श्रीमान जी द्वारा दी गयी जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7–प्राथमिकी के अनुसार वादी सूबेदार को वर्ष 1976 में भूमिहीन होने के कारण गाटा संख्या 862 रकबा 0.3240 एकड़ भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था तथा वह उक्त भूमि पर तभी से काबिज चला आ रहा है। वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी उक्त भूमि का बैनामा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को सूबेदार बताकर धोखाधड़ी पूर्वक निष्पादित कर दिया गया है। वादी को जानकारी हुयी कि

दिनांक 03.08.2021 को उसकी भूमि का दो अलग–अलग विक्रय विलेखों के माध्यम से श्रीमती वन्दना देवी पत्नी प्यारेलाल के पक्ष में पंजीकरण कराया गया तथा उसके आधार पर दिनांक 13.10.2021 एवं 16.08.2022 को दाखिल–खारिज की कार्यवाही भी सम्पन्न करा ली गयी तथा विक्रय विलेखों में दर्शायी गयी विक्रय धनराशि वादी के खाते में न जाकर आर्यावर्त बैंक के खाता संख्या 073310100003203 में जमा की गयी, जिसका खाताधारक संजय कुमार पुत्र देशराज पाया गया। उक्त खाते में कभी भी भूमि की बिक्रीत धनराशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा पूछताछ करने पर क्रेता वन्दना देवी ने बताया कि उक्त बैनामे रामरहीस यादव द्वारा कराये गये थे तथा भूमि अनुसूचित जाति की होने के कारण उसे अपने नाम से क्रय न कर सकने के कारण वन्दना देवी के नाम क्रय कराया गया। वादी मुकदमा तथा अभियुक्त(प्रार्थी)का नाम समान है।अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर, एक राय होकर, वादी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा प्रतिरूपण करके मूल्यवान भूमि का फर्जी बैनामा करा लिया। सम्पत्ति के वास्तविक मालिक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (प्रार्थी)को खड़ा कर वादी मुकदमा की भूमि का फर्जी विक्रय विलेख निष्पादित कराया गया तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी करा लिया गया। आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया सुनियोजित धोखाधड़ी, प्रतिरूपण एवं कूटरचना से सम्बन्धित हैं। मामले के तथ्य एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सूबेदार सिंह द्वारा योजत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

रूपेश रंजन

दिनांक 19–06–2026

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

अनिल कुमार अग्रवाल,

पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.19 14:47:39 +0530